(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

रेनु कुमारी .... बनाम .... सरकार

किस्म मुकदमा .... 88-89 RTA .... मिसल नम्बर 44/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.3.19	वाद वादी/वादनी रेनु कुमारी की और से अभिभाषक श्री SP शर्मा द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.3.19 को पेश हो। [signature]	रेणु कुमारी इश्तिहार
18.3.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी वकील द्वारा शपथ पत्र मय दस्तावेज पेश किए। जिन्हे शामिल मिसल किया। जवाब सरकार अप्राप्त। वास्ते जवाब सरकार हेतु पत्रावली दि:- 28.3.19 को पेश हो। [signature]	सोनू इश्तिहार
28.3.19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने कार्य स्थगित ... के कारण ... रखा है। अतः पत्रावली 2-4-19 को पेश हो। अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर लें।	
2.4.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार दीगोद से वादिनी रेनु एवं बीना का वास्तविक नाम क्या है, तथा क्या यह दोनों नाम एक ही महिला के है, के संबंध में मौके एवं रिकार्ड के आधार पर जांच पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली दि:- 15.4.2019 को पेश हो। [signature]	

15.4.19	उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक------ ---24.4.19----को पेश हो।
24.4.19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिबादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक----- ---2.5.19-----को पेश हो।
2/5/19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादनी उपस्थित। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जो शामिल मिसल की गई। वकील वादनी को सुना गया, वकील वादनी ने निवेदन किया कि ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 246 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 549 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 550 रकबा 2.36 हे0, ख0नं0 606 रकबा 2.74 हे0 कुल किता 4 रकबा 5.42 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम रीना पुत्री चन्द्रमोहन के स्थान पर रेणु कुमारी पुत्री चन्द्रमोहन दर्ज किया जावें तथा वादनी रेणु कुमारी पुत्री चन्द्रमोहन को बालिग दर्ज किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। रिपोर्ट सरकार का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट सरकार में कथन किये है कि ग्राम पोलाई खुर्द जमाबंदी सं0 2072–75 खाता सं0 71 पर दर्ज रीना ना0बा0 पुत्री चन्द्रमोहन दर्ज है और दिनांक 11.04.2019 को ग्राम पोलाई खुर्द में ग्राम वासियों से जानकारी अनुसार प्रार्थीया को ग्राम में रेणु नाम से जाना जाता है और प्रार्थीया द्वारा पेश स्कूल दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थीया का नाम रेणु पुत्री चन्द्रमोहन है। वाद के क्रम में रिपोर्ट सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद स्थित खाता नं0 71 पर स्थित ख0नं0 246 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 549 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 550 रकबा 2.36 हे0, ख0नं0 606 रकबा 2.74 हे0 कुल किता 4 रकबा 5.42 हे0 भूमि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

में वादनी का नाम रीना नाबा0 पुत्री चन्द्रमोहन दर्ज है तथा रीना विवादित आराजी की सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। वादनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य छायाप्रति टी0 सी0 जन्म दिनांक 05.01.1996, छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र में वादनी का नाम रेणु कुमारी ही अंकित है। ग्राम पंचायत पोलाई कलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13.03.2019 के अनुसार रीना व रेणु एक ही व्यक्ति है तथा गांव में बचपन में रीना के नाम से जानते थे। विवादित आराजी के सहखातेदार राकेश कुमार पुत्र चन्द्रमोहन, दुर्गाशंकर पुत्र रामनाथ, वादनी एवं सोनू मीणा पुत्र हनुमान मीणा निवासी पोलाई खुर्द ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर रीना व रेणु कुमारी एक ही लडकी होनें के कथन किये है तथा विवादित आराजी के सहखातेदारान् ने रीना व रेणु कुमारी एक ही लडकी होनें तथा वादनी का नाम रीना के स्थान पर रेणु कुमारी दर्ज किये जानें की सहमति प्रकट की है। जिससे वादनी को दोनों नामों से जाननें की पुष्टि होती है। वादनी के दस्तावेजों से उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, जिससे वादनी पूर्ण बालिग हो चुकी है। वैसे भी विवादित आराजी के सहखातेदारान एवं अन्य नें शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादनी का नाम दुरूस्त किये जानें की सहमति प्रकट की है तथा तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में भी वादनी को रीना व रेणु कुमारी दोनों नामों से जाननें के कथन किये है। जिससे प्रमाणित होता है कि रीना व रेणु कुमारी एक ही महिला के नाम है तथा जन्म दिनांक 05.01.1996 के अनुसार वादनी बालिग हो चुकी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं सहखातेदारान राकेश कुमार, दुर्गाशंकर की सहमति के आधार पर वाद वादनी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद ख0नं0 246 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 549 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 550 रकबा 2.36 हे0, ख0नं0 606 रकबा 2.74 हे0 कुल किता 4 रकबा 5.42 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम रीना नाबा0 पुत्री चन्द्रमोहन के स्थान पर रेणु कुमारी उर्फ रीना पुत्री चन्द्रमोहन दर्ज किया जावें एवं वादनी को नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जावें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 02/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद